विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता नियम, 2021[1]

[23.10.2023 को अद्यतन किया गया]

जबकि आधार अधिप्रमाणन का कार्य अच्छे शासन के हित में है और यह लाभार्थियों को सुविधाजनक और सुचारू रूप से प्रत्यक्ष सेवा प्रदान कराने में सहायक है और आधार का स्वैच्छिक प्रयोग केंद्र/राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के उपयोग हेतु यह प्रयोगकर्ता को सुविधाजनक तरीके से उसकी पहचान उपलब्ध कराता है;

और जबकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा जाएगा) में भारत सरकार इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्वास्थ्य आईटी एप्लीकेशन में लाभार्थी की पहचान और अधिप्रमाणन के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता (यूएचआईडी) का सृजन करने का आशय रखती है;

और जबकि, यूएचआईडी विभिन्न उपयोजन में स्वास्थ्य आंकड़ों का एकीकरण और मंत्रालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के डी-डुप्लिकेशन के अतिरिक्त सभी नागरिकों के अनुलंब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (एचईआर) के सृजन में सहायक है;

और जबकि, यूएचआईडी का सृजन स्वैच्छिक होगा;

और जबकि, आधार की (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित प्रदानगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसमें इसके पश्चात आधार अधिनियम, 2016 कहा जाएगा) धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) अधिप्रमाणन के लिए संस्था को अनुज्ञात करती है और यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि अधिप्रमाणन सेवाओं का प्रस्ताव करने और इस प्रकार के उद्देश्य के लिए अधिप्रमाणन प्राप्त करने की अनुज्ञप्ति का अनुरोध करने वाली संस्था संसद द्वारा निर्मित किसी भी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन है तो केंद्र सरकार प्राधिकारी के परामर्श से नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकती है।

अत:, अब, केंद्र सरकार आधार अधिनियम, 2016 की धारा 53 के उप-धारा (2) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकारी के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**, - (1) इन नियमों को विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **उद्देश्य.** – आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित सुशासन (समाज कल्याण, नवप्रवर्तन, ज्ञान) के लिए आधार अधिप्रमाणन, नियम, 2020 के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य आईडी आवेदनों में लाभार्थियों की पहचान और अधिप्रमाणन के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता को स्थापित करने के लिए आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक होगा।

---

[1] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i), संख्या 3, दिनांक 1.1.2021 में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 3 (अ), दिनांक 1.1.2021 द्वारा प्रकाशित।

3. **आधार प्रमाणीकरण के लिए अनुमोदित संस्थाएं.** – वे संस्थाएं, जो स्वास्थ्य आईडी का सृजन करने के लिए उपयोगकर्ता के लिए स्वैच्छिक आधार अधिप्रमाणन को विकल्पों में से किसी एक को अनुमति देने के इच्छुक हैं और विभिन्न आईटी आवेदनों के अधीन स्वास्थ्य संबंधी सूचना साझा करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में वर्तमान नियम सभी संस्थाओं और संव्यवहार पर लागू होगा।

4. **अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए) या केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए)** - विभिन्न स्वास्थ्य आईटी आवेदनों में लाभार्थियों की पहचान और अधिप्रमाणन के लिए सभी स्वास्थ्य आईटी आवेदन को आधार अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य के लिए मंत्रालय एयूए या केयूए होगा।

5. **स्वास्थ्य सेवाओं का प्रत्याख्यान नहीं.-** चूंकि यूएचआईडी के सृजन के लिए आधार अधिप्रमाणन सेवा स्वैच्छिक है, पूर्वोपाय के आभाव स्वास्थ्य सेवा के प्रत्याख्यान की अनुमति नहीं होगी।

6. **यूएचआईडी के सृजन के लिए अनुमोदित दस्तावेज.-** मंत्रालय यूएचआईडी के सृजन के लिए अतिरिक्त परिलक्षित दस्तावेजों और स्वास्थ्य सेवा विवरण को लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति दे सकेगा।